न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 23 / 2019

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
गोविन्दसिंह पुत्र किशनसिंह, जाति रावणा राजपूत,निवासी आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर		राज.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आहोर,जिला जालोर(राज.)

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार आहोर,दि.3.6.2019(प्रकरण सं. 60 / 19)

उपस्थिति :–
1-श्री धनंजय गहलोत ,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 10.2.2020

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा आहोर की आराजी खसरा नम्बर 1194 रकबा 1.59 हेक्टर की भूमि में से 938 वर्गमीटर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण होने से अपीलांट के विरूद्ध तहसीलदार आहोर ने एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया ,जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार आहोर ने धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस आहूत किया तथा दिनांक 21.5.2019को पेशी नियत की गई, नोटिस अपीलांट के पुत्र उत्तमसिंह को दिनांक 20.5.19 को प्राप्त होने पर अपीलांट का पुत्र अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं जवाब ,सबूत पेश करने का समुचित अवसर चाहा गया जिस हेतु आगे पेशी दी गई ,न्यायालय तहसीलदार आहोर ने अपीलांट का जवाब एवं समुचित सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं देते हुए मनमाने ढंग से दिनांक 3.6.2019 को अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है, अपीलांट का गैर मुमकिन नाले के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा नही है बल्कि अपीलांट का एक आवासीय मकान स्थित है, उक्त मकान का पट्टा ठिकाना आहोर के जागीरदार ठा. नरपतसिंहजी द्वारा संवत्

2006 में गोपालसिंह पुत्र वसाजी,जाति रावणा राजपूत के पक्ष में 110वर्गगज(220 फीट)गुणा 45 गज(90फीट) का जारी कर गोपालसिंहजी को काबिज करवाया था, गोपालसिंहजी द्वारा उक्त भू भाग जरिए वसीयत दिनांक 18.11.83 को अपीलांट को दिया गया था, गोपालसिंहजी की मृत्यु के पश्चात् निर्विवाद रूप से उक्त पट्टासुद भू भाग पर रहवास करता है तथा अपने रहवास हेतु पडवे बने हुए है,अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत आहोर में सन् 1992 से लगातार गृहकर जमा करवाया जाता रहा है तथा उक्त भू भाग आबादी भूमि में स्थित होने से ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट के पक्ष में विद्युत कनेक्शन लेने हेतु एवं निर्णय हेतु एन.ओ.सी. भी जारी की हुई है, तथा सन् 2001 से विद्युत सबंध भी लिया हुआ है जो सुचारू रूप से चल रहा है, इसके बावजूद भी पटवारी हल्का आहोर द्वारा अपीलांट को गैर मुमकिन नाले की भूमि पर काबिज होना बताते हुए धारा 91 की कार्यवाही की गयी तथा निर्णय पारित किया है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पेशी बाबत् सूचित किये बिना ही तथा साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही अपीलांट की अनुपस्थिति में दिनांक 3.6.2019 को जो निर्णय पारित किया गया है वह निरस्त योग्य है। अपीलांट का अपने पडौसी राजूसिह के साथ विवाद चल रहा है, अपीलांट ने राजूसिंह वगैरा के विरूद्ध माननीय सिविल न्यायालय जालोर में एक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें दिनांक 9.4.2015 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए अपीलांट के आवासीय भूखण्ड 220 गुणा 60 फीट के उपयोग व उपभोग तथा कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कर रखी है,ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है, अपीलांट ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर काबिज है, जिस बाबत् ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 24.9.2019को मौका निरीक्षण कर एक मौका फर्द बनायी गयी है जिसमें भी अपीलांट को आबादी भूमि पर काबिज होना बताया है तथा अपीलांट का गैर मुमकिन नाले पर कोई अतिक्रमण नही पाया गया, निर्णय दिनांक 3.6.19 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 13.11.19को पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट से जुर्माना वसूल करने का तकाजा करने पर हुई जिस पर अपीलांट ने दिनांक 13.11.19को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया , नकल दिनांक 13.11.19को ही प्राप्त हुई ,इस प्रकार निर्णय की जानकारी एवं नकल प्राप्ति से अपीलांट की अपील अन्दर म्याद है , तथापित देरी को कण्डोन करने हेतु अलग से धारा

5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है, अतः बाद सुनवाई जैर अपील आदेश दिनांक 3.6.2019को अपास्त करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शथपत्र तथा फहरिस्त के साथ निर्णय दिनांक 3.6.2019आदि की नकल पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है, अतः अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं.60/19 का नोटिस उसके पुत्र को दिनांक 20.5.19 को प्राप्त होने पर अपीलांट का पुत्र उत्तमसिंह न्यायालय तहसीलदार आहोर में दिनांक 21.5.19 को उपस्थित हुआ,जवाब ,सबूत प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा जिस पर अपीलांट को यह कहते हुए आगे पेशी दी गई कि आयन्दा जब भी नोटिस आवे ,हाजिर आकर जवाब ,सबूत पेश कर देना , मगर तहसीलदार आहोर ने अपीलांट को जवाब ,सबूत पेश करने का अवसर नही देते हुए अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का निर्णय पारित किया,अपीलांट का खसरा नम्बर 1194 किस्म गैर मुमकिन नाले पर किसी भी हिस्से पर कब्जा नही है बल्कि अपीलांट का एक आवासी मकान स्थित है जिसका पट्टा ठिकाना आहोर के जागीरदार ठा.नरपतसिंहजी द्वारा संवत् 2006 में गोपालसिंह पुत्र वसाजी जाति रावणा राजपूत को 110 गज (220 फीट)गुण 45 गज (90फीट) जारी किया था , गोपालसिंहजी द्वारा उक्त भू भाग जरिए वसीयत दिनांक 18.11.83 को अपीलांट को दिया था ,उक्त भू भाग आबादी में स्थित होने से ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट के पक्ष में विद्युत कनेक्शन व निर्माण हेतु एन.ओ.सी. जारी की हुई है,सन् 1983 से जल सबंध लिया हुआ है, इस भूखण्ड से सबधित स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर रखा है, जिसमे माननीय सिविल न्यायालय द्वारा अपीलांट के आवासीय भूखण्ड के उपयोग व उपभोग तथा कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 24.9.19 के मौका फर्द में अपीलांट को आबादी भूमि पर काबिज होना बताया है। अपीलांट वकील ने बताया कि उसका कब्जा वर्तमान में नही है, जिसके छाया चित्र पेश किये है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार आहोर का आदेश दिनांक 3.6.19 निरस्त करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी वकील ने बताया कि गैरसायल गोविन्दसिंह ने संवत् 2075 में मौजा आहोर के खसरा नम्बर 1194 पर 938 वर्ग मीटर पर अवैध अतिक्रमण कर वाडा,कब्जा करने से तहसीलदार आहोर ने प्रकरण सं.60/19 दर्ज कर बाद सुनवाई के दिनांक 3.6.2019को बेदखली

व जुर्माना का आदेश पारित किया गया है,भूमि की किस्म गैर मुमकिन वाला है जो धारा 16 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रतिबंधित भूमि है तथा नियमन योग्य नही है, ऐसे प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से रिट अब्दुल रहमान बनाम सरकार में निर्णय पारित किया जा चुका है जिसमें वर्ष 1947 की स्थिति बहाल की जानी है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। गैरसायल गोविन्दसिंह ने संवत् 2075 में मौजा आहोर के खसरा नम्बर 1194 कुल रकबा 1.59 हेक्टर में से 938 वर्गमीटर पर किस्म गैर मुमकिन वाला पर अवैध अतिक्रमण कर वाडा कब्जा करने से तहसीलदार आहोर ने प्रकरण सं.60/19 दर्ज कर गैरसायल को नोटिस जारी करने पर नोटिस गैरसायल के पुत्र से तामील हुआ , निर्णय दिनांक 3.6.19 को गैरसायल गैर हाजिर रहा है। अतः उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 3.6.19 बेदखली व जुर्माना का पारित किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांटको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवायी का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है, इस सबंध में सिविल न्यायालय जालोर द्वारा दीवानी प्रकरण सं.25/2015,निर्णय दिनांक 9.4.15 में अस्थायी निषेधाज्ञा भी पारित की गयी है तथा बिजली,पानी के बिल भी प्रस्तुत किये गये हैं।

ऐसा प्रतीत होता हैं कि अपीलांट की आबादी भूमि में धारित भूमि तथा आहोर का खसरा नम्बर 1194,गैर मुमकिन वाला आपस में एक दूसरे से लगते हुए है। अतः राजस्व कार्मिक की टीम बनाकर नाले का सीमांकन आवश्यक है।

आदेश

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार आहोर का आदेश दिनांक 3.6.2019(प्र.सं.60/19) निरस्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार आहोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर गैर मुमकिन वाले का,राजस्व कार्मिकों की टीम द्वारा सीमांकन करवाकर, उसके अनुसार पुनः नियमानुसार एक माह में निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय,आज दिनांक 10.2.2020को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर